

सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन और विघटन

Chapter-XI

Winding up and Dissolution of Co-operative Societies

61. सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन— (1) जहाँ धारा 54 के अधीन संचालित किसी लेखापरीक्षा या धारा 55 के अधीन की गयी किसी जांच के आधार पर या तत्प्रयोजनार्थ बुलायी गयी किसी विशेष साधारण बैठक में पारित किसी विशेष संकल्प सहित किया गया कोई आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार की जानकारी में यह आये कि—

(क) सोसाइटी के सदस्यों की संख्या या समादत्त शेयर पूंजी की रकम सोसाइटी के ऐसे वर्ग के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर से कम हो गयी है; या

(ख) सोसाइटी ने उसके रजिस्ट्रीकरण के दो वर्ष के पश्चात् भी कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है या ऐसे प्रमुख उद्देश्यों को पूरा कर लिया है जिनके लिए उसका गठन किया गया था या उसके प्रमुख उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बन्द कर दिया है,

तो वह, सोसाइटी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात्, ऐसी सोसाइटी के परिसमापन का निदेश देते हुए कोई आदेश जारी कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार ऐसे किसी मामले में, जिसमें उसकी राय में सोसाइटी को विद्यमान बने रहना चाहिए, किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन के किसी आदेश को ऐसा किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भी समय रद्द कर सकेगा।

61. Winding up of co-operative societies.— (1) Where, on the basis of an audit conducted under section 54 or an enquiry held under section 55 or on receipt

of an application made with a special resolution passed at a special general meeting called for the purpose, it comes to the knowledge of the Registrar that-

- (a) the number of members or the amount of the paid up share capital in the society has reduced below the minimum level which is essential for registration of such class of society; or
- (b) the society has not commenced to work even after two years of its registration, or has fulfilled the core objects for which it was constituted or has ceased to work in accordance with its core objectives,

he may, after giving the society an opportunity of making its representation, issue an order directing the winding up of such society.

(2) The Registrar may cancel an order for the winding up of a co-operative society, stating the reasons therefor, at any time, in any case where, in his opinion, the society should continue to exist.

62. बीमाकृत सहकारी बैंक— इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के मामले में-

- (i) बैंक के परिसमापन का कोई आदेश, या उसके साथ समझौते या ठहराव की या उसके सम्मेलन या पुनर्निर्माण (जिसमें विभाजन या पुनर्गठन सम्मिलित है) की किसी स्कीम की मंजूरी का कोई आदेश केवल भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से किया जा सकेगा;
- (ii) यदि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) की धारा 13घ में निर्दिष्ट परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो बैंक के परिसमापन का आदेश रजिस्ट्रार द्वारा किया जायेगा;
- (iii) यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, लोकहित में या बैंक के कार्यकलापों को जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकर रीति से चलाये जाने से रोकने के लिए या बैंक का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अपेक्षा की जाये तो बैंक की समिति या अन्य प्रबंध निकाय (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये) को हटाये जाने का और उसके लिए कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, प्रशासक की नियुक्ति का आदेश किया जायेगा और

इस प्रकार नियुक्त प्रशासक अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् नयी समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक पदारूढ़ रहेगा;

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से या उसकी अध्यक्षता पर, खण्ड (i), (ii) या (iii) में यथानिर्दिष्ट किये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और ऐसा आदेश या मंजूरी किसी भी रीति से प्रश्नगत किये जाने की दायी नहीं होगी;

(v) समापक या बीमाकृत सहकारी बैंक या, यथास्थिति, अन्तरिती बैंक निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा निगम को उस अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, सीमा तक और रीति से निक्षेप का प्रतिसंदाय करने के लिए बाध्य होगा।

स्पष्टीकरण :-

(i) इस धारा के प्रयोजनार्थ "सहकारी बैंक" से ऐसा बैंक अभिप्रेत है जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) में परिभाषित किया गया है।

(ii) "बीमाकृत सहकारी बैंक" से ऐसा सहकारी बैंक अभिप्रेत है जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) के उपबंधों के अधीन कोई बीमाकृत बैंक है।

(iii) "अन्तरिती बैंक" से, किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के संबंध में, कोई ऐसा सहकारी बैंक अभिप्रेत है-

(क) जिसके साथ ऐसा बीमाकृत सहकारी बैंक समामेलित किया गया है; या

(ख) जिसे ऐसे बीमाकृत सहकारी बैंक की आस्तियाँ और दायित्व अंतरित किये गये हैं; या

(ग) जिसमें इस अधिनियम की धारा 12 या 13 के उपबंधों के अधीन ऐसे बीमाकृत सहकारी बैंक को विभाजित या पुनर्गठित किया गया है।

62. Insured Co-operative Bank.— Notwithstanding anything contained in this Act, in the case of an Insured Co-operative Bank-

(i) an order for the winding up, or an order sanctioning a scheme of compromise or arrangement or of amalgamation or reconstruction (in-

cluding division or re-organisation) of the Bank may be made only with the previous sanction in writing of the Reserve Bank of India;

- (ii) an order for the winding up of the Bank shall be made by the Registrar if so required by the Reserve Bank of India in the circumstances referred to in section 13D of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Central Act 47 of 1961);
- (iii) if so required by the Reserve Bank of India in the public interest or for preventing the affairs of the Bank being conducted in a manner detrimental to the interests of the depositors or for securing the proper management of the Bank, an order shall be made for the removal of the committee or other managing body (by whatever name called) of the Bank and the appointment of an administrator therefor for such period or periods, not exceeding five years in the aggregate, as may from time to time be specified by the Reserve Bank of India, and the administrator so appointed shall, after the expiry of his term of office, continue in office until the day immediately preceding the date of the first meeting of the new committee;
- (iv) no appeal, revision or review shall lie or be permissible against an order such as is referred to in clauses (i), (ii) or (iii) made with the previous sanction in writing or on the requisition of the Reserve Bank of India and such order or sanction shall not be liable to be called in question in any manner;
- (v) the Liquidator or the Insured Co-operative Bank or transferee Bank, as the case may be, shall be under an obligation to repay the deposit to the Deposit Insurance Corporation established under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Central Act 47 of 1961) in the circumstances, to the extent and in the manner referred to in section 21 of that Act.

Explanation :-

- (i) For the purpose of this section "a Co-operative Bank" means a Bank as

has been defined in the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Central Act 47 of 1961).

- (ii) "Insured Co-operative Bank" means a Co-operative Bank, which is an Insured Bank under the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Central Act 47 of 1961).
- (iii) "Transferee Bank", in relation to an Insured Co-operative Bank, means a Co-operative Bank-
 - (a) with which such Insured Co-operative Bank is amalgamated; or
 - (b) to which the assets and liabilities of such Insured Co-operative Bank are transferred; or
 - (c) into which such Insured Co-operative Bank is divided or reorganised under the provisions of section 12 or 13 of this Act.

63. समापक— (1) जहाँ रजिस्ट्रार ने धारा 61 के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन के लिए कोई आदेश किया हो वहाँ वह, तत्प्रयोजनार्थ, किसी राज्य कर्मचारी को, जो सहकारी निरीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, समापक नियुक्त कर सकेगा और उसका पारिश्रमिक नियत कर सकेगा।

(2) समापक, नियुक्त हो जाने पर, ऐसी सारी सम्पत्ति, चीजबस्त और अनुयोज्य दावे, जिनकी सोसाइटी हकदार है या हकदार प्रतीत होती है, अपनी अभिरक्षा में या नियंत्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, चीजबस्त और दावों को हानि, क्षय या नुकसान से बचाने के लिए ऐसे कदम उठायेगा जो वह आवश्यक या समीचीन समझे।

(3) जहाँ धारा 104 के अधीन कोई अपील की जाये वहाँ धारा 61 के अधीन किया गया किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का कोई आदेश तत्पश्चात् तब तक प्रवर्तित नहीं होगा जब तक कि अपील में आदेश की पुष्टि न कर दी जाये:

परन्तु समापक उप-धारा (2) में उल्लिखित सम्पत्ति, चीजबस्त और अनुयोज्य दावों को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखे रहेगा और उसे उस उप-धारा में निर्दिष्ट किये गये कदम उठाने का प्राधिकार होगा।

(4) जहाँ किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश अपील में अपास्त कर दिया जाये वहाँ सोसाइटी की सम्पत्ति, चीजबस्त और अनुयोज्य दावे सोसाइटी में पुनः निहित हो जायेंगे।

63. Liquidator.— (1) Where the Registrar has made an order under section 61 for the winding up of a co-operative society, he may appoint a government servant, not below the rank of Inspector, co-operative to be a Liquidator for the purpose and fix his remuneration.

(2) A Liquidator shall, on appointment, take into his custody or under his control, all the property, effects and actionable claims to which the society is, or appears to be entitled and shall take such steps as he may deem necessary or expedient to prevent loss or deterioration of, or damage to, such property, effects and claims.

(3) Where an appeal is preferred under section 104, an order of winding up of a co-operative society made under section 61 shall not operate thereafter until the order is confirmed in appeal:

Provided that the Liquidator shall continue to have custody or control of the property, effects and actionable claims mentioned in sub-section (2) and have authority to take the steps referred to in that sub-section.

(4) Where an order of winding up of a co-operative society is set-aside in appeal, the property, effects and actionable claims of the society shall re-vest in the society.

64. समापक की शक्तियाँ— (1) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी किसी सहकारी सोसाइटी की, जिसके संबंध में परिसमापन का आदेश कर दिया गया है, संपूर्ण आस्तियाँ ऐसी तारीख से, जिसको आदेश प्रभाव में आये, धारा 63 के अधीन नियुक्त समापक में निहित हो जायेंगी और समापक को ऐसी आस्तियों को विक्रय द्वारा या अन्यथा वसूल करने की शक्ति होगी।

(2) ऐसे समापक को रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी:-

(क) सहकारी सोसाइटी की ओर से अपने पदनाम से वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित करना और उनका प्रतिवाद करना;

(ख) सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों द्वारा या मृत सदस्यों की संपदा में से या उनके नामनिर्देशितियों, वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा या किन्हीं अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा

सोसाइटी की आस्तियों के प्रति दिया जाने वाला या दिये जाने के लिए शेष रहा अभिदाय (जिसमें शोध्द ऋण सम्मिलित हैं) समय-समय पर अवधारित करना;

- (ग) सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध समस्त दावों का अन्वेषण करना और, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, दावेदारों के मध्य उत्पन्न होने वाले पूर्विकता के प्रश्नों को नियमों के अनुसार विनिश्चित करना;
- (घ) सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध दावों का, जिनमें परिसमापन की तारीख तक का ब्याज सम्मिलित है, उनकी अपनी-अपनी पूर्विकताओं, यदि कोई हों, के अनुसार पूर्णतः या अनुपाततः ऐसे संदाय करना जैसा कि सोसाइटी की आस्तियां अनुज्ञात करें; ऐसी अधिशेष राशि, यदि कोई हो, जो दावों का संदाय कर देने के पश्चात् बच रहे, परिसमापन के ऐसे आदेश की तारीख से ब्याज की ऐसी दर पर, जो उसके द्वारा नियत की जाये किन्तु जो किसी भी स्थिति में, संविदा की दर से अधिक न हो, संदाय करने में प्रयुक्त की जायेगी;
- (ङ) यह अवधारित करना कि समापन के खर्चे किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में विहित किये जायेंगे;
- (च) यह अवधारित करना कि क्या कोई व्यक्ति सदस्य है, भूतपूर्व सदस्य है या किसी मृत सदस्य का नामनिर्देशिती है;
- (छ) सोसाइटी की आस्तियों के संग्रहण और वितरण के संबंध में ऐसे निदेश देना जो उसे सोसाइटी के कार्यकलापों का परिसमापन करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो;
- (ज) सोसाइटी के कारबार को, जहां तक वह उसके लाभप्रद परिसमापन के लिए आवश्यक हो, चलाना;
- (झ) लेनदारों से या लेनदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों से या उन व्यक्तियों से, जिनका कोई वर्तमान या भावी दावा है या ऐसा दावा होने का अभिकथन करते हैं, जिससे कि सोसाइटी दायी बन सकती हो, कोई समझौता या ठहराव करना;
- (ञ) समस्त मांगों या मांगों और ऋणों संबंधी दायित्वों और ऐसे दायित्वों, जो परिणामतः ऋण हो सकते हैं, के संबंध में और उक्त सोसाइटी तथा किसी अभिदायी या अभिकथित अभिदायी या अन्य ऋणी या ऐसे व्यक्ति, जिसका उक्त सहकारी सोसाइटी का देनदार होना संभव हो, के बीच समस्त दावों का, चाहे वे वर्तमान हों या भावी, निश्चित हों या समाश्रित, अस्तित्वयुक्त हों या अस्तित्वयुक्त होना अनुमानित हो तथा उक्त सोसाइटी की आस्तियों या परिसमापन से संबंधित या उन पर प्रभाव डालने वाले समस्त प्रश्नों का ऐसे निबंधनों पर,

जो आपस में तय हो जायें, समझौता करना और उक्त किसी भी मांग, दायित्व, ऋण या दावे के उन्मोचन के लिए कोई प्रतिभूति स्वीकार करना और उनके संबंध में संपूर्ण उन्मोचन प्रदान करना;

- (ट) ऐसी अवधि या अवधियाँ नियत करना, जिनके भीतर-भीतर लेनदार अपने ऐसे ऋणों तथा दावों को सिद्ध करेंगे जो उक्त ऋण या दावे सिद्ध होने के पूर्व किये जाने वाले किसी वितरण के फायदे में शामिल किये जाने हों:

परन्तु कोई भी समापक किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से या किसी मृत सदस्य के नामनिर्देशिती, वारिस या प्रतिनिधि से वसूलीय अभिदाय, ऋण या उनके द्वारा देय राशि तब तक अवधारित नहीं करेगा जब तक ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को या मृत सदस्य के नामनिर्देशिती, वारिस या प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(3) जब किसी सहकारी सोसाइटी के कार्यकलाप परिसमाप्त हो गये हों तो समापक रजिस्ट्रार को उसकी रिपोर्ट देगा और सोसाइटी के अभिलेख ऐसे स्थान पर जमा करेगा जैसा रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट किया जाये।

64. Powers of Liquidator.— (1) Subject to any rules made in this behalf, the whole of the assets of a co-operative society in respect of which an order for winding up has been made shall vest in the Liquidator appointed under section 63 from the date on which the order takes effect and the Liquidator shall have power to realise such assets by sale or otherwise.

(2) Such Liquidator shall also have power, subject to the control of the Registrar,-

- (a) to institute and defend suits and other legal proceedings on behalf of the co-operative society by the name of his office;
- (b) to determine from time to time the contribution (including debts due) to be made or remaining to be made by the members or past members or by the estates or nominees, heirs or legal representatives of deceased members or by any officers or former officers, to the assets of the society;
- (c) to investigate all claims against the co-operative society and subject to the provisions of this Act, to decide questions of priority arising between

claimants in accordance with the rules;

- (d) to pay claims against the co-operative society including interest upto the date of winding up according to their respective priorities, if any, in full or rateably, as the assets of the society may permit; the surplus, if any, remaining after payment of the claims being applied in payment of interest from the date of such order of winding up at a rate fixed by him but not exceeding the contract rate in any case;
- (e) to determine by what persons and in what proportions the costs of the liquidation are to be borne;
- (f) to determine whether any person is a member, past member or nominee of a deceased member;
- (g) to give such directions in regard to the collection and distribution of the assets of the society as may appear to him to be necessary for winding up the affairs of the society;
- (h) to carry on the business of the society so far as may be necessary for the beneficial winding up of the same;
- (i) to make any compromise or arrangement with creditors or persons claiming to be creditors or having or alleging to have any claim, present or future, whereby the society may be rendered liable;
- (j) to compromise all calls or liabilities to calls and debts and liabilities capable of resulting in debts, and all claims, present or future, certain or contingent, subsisting or supposed to subsist, between the society and a contributory or alleged contributory or other debtor or person apprehending liability to the co-operative society and all questions in any way relating to or affecting the assets or the winding up of the society on such terms as may be agreed and to take any security for the discharge of any such call, liability, debt or claim and give a complete discharge in respect thereof;

- (k) to fix the time or times within which creditors shall prove their debts and claims to be included for the benefit of any distribution made before those debts or claims are proved:

Provided that no Liquidator shall determine the contribution, debt or dues to be recovered from a member, past member, or a nominee, heir or representative of a deceased member unless opportunity has been given to such member, past member or nominee, heir or representative of the deceased member of being heard.

(3) When the affairs of a co-operative society have been wound up, the Liquidator shall make a report to the Registrar and deposit the records of the society in such place as the Registrar may direct.

65. परिसमापन की कार्यवाहियों का पर्यवसान— (1) किसी सोसाइटी के परिसमापन की कार्यवाहियां, जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा कालावधि बढ़ायी नहीं जाये, परिसमापन के आदेश की तारीख से तीन वर्ष के भीतर-भीतर पूरी की जायेंगी:

परन्तु रजिस्ट्रार ऐसी कालावधि की वृद्धि एक बार में एक वर्ष और कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक नहीं करेगा।

(2) यदि परिसमापन की कार्यवाहियां ऐसे समय के भीतर-भीतर जो उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा बढ़ाया जाये, पूरी नहीं होती हैं तो रजिस्ट्रार उस मामले को उसके कारणों सहित सरकार को निर्दिष्ट करेगा और तत्पश्चात् सरकार द्वारा प्रत्येक वैयक्तिक मामले में जारी किये गये निदेशों के अनुसार कार्य करेगा।

65. Termination of winding up proceedings.— (1) The winding up proceedings of a society shall be completed within three years from the date of the order of the winding up, unless the period is extended by the Registrar :

Provided that the Registrar shall not grant any extension for a period exceeding one year at a time and two years in the aggregate.

(2) If the winding up proceedings are not completed within such time, as may be extended by the Registrar under sub-section (1), the Registrar shall refer the matter to the Government with the reasons therefor and shall thereafter act as per the directions issued by the Government in each individual case.

66. अधिशेष आस्तियों का निपटारा— रद्द हुई सोसाइटी की समाप्त शेयर पूंजी सहित समस्त दायित्वों के पूर्ण होने के पश्चात् अधिशेष आस्तियाँ उसके सदस्यों में विभाजित नहीं की जायेंगी अपितु वे सोसाइटी की उपविधियों में उल्लिखित किसी उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए और जब कोई भी उद्देश्य इस प्रकार उल्लिखित नहीं हो तो, सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा अवधारित और रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित लोकोपयोग के किसी उद्देश्य को अर्पित की जायेंगी या जहाँ साधारण निकाय द्वारा कोई ऐसे उद्देश्य अवधारित नहीं किये गये हों, वे रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित में से किसी को या सभी को पूर्णतः या भागतः समनुदेशित की जा सकेंगी, अर्थात्:-

(क) लोकोपयोग का कोई उद्देश्य;

(ख) पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का केन्द्रीय अधिनियम 6) की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई पूर्त प्रयोजन;

(ग) राज्य में सहकारी आन्दोलन के विकास के लिए और सहकारी सोसाइटियों को बेहतर सेवाएं मुहैया करने के लिए अवसंरचना के शासकीय विकास के लिए;

या वित्तीय बैंक के निक्षेप में, ऐसे ही उद्देश्यों वाली किसी नयी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत हो जाने के समय तक, रखी जा सकेंगी और तब रजिस्ट्रार की सहमति से ऐसा अधिशेष ऐसी नयी सोसाइटी की आरक्षित निधि में जमा किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनार्थ 'रजिस्ट्रार' के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी नहीं आयेंगे, जिन्हें इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

66. Disposal of surplus assets.— After all the liabilities including the paid up share capital of the cancelled society have been met, the surplus assets shall not be divided amongst its members but they shall be devoted to any object or objects described in the bye-laws of the society and when no object is so described, to any object of public utility determined by the general body of the society and approved by the Registrar or where the general body has determined no such objectives, they shall be assigned by the Registrar in whole or in part to any or all of the following, namely:-

(a) an object of public utility;

(b) a charitable purpose, as defined in section 2 of the Charitable Endowments Act, 1890 (Central Act 6 of 1890);

(c) for development of co-operative movement in the State and for official development of infrastructure to render better services to the co-operative societies;

or may be placed in deposit with the financing bank until such time as a new society with similar objectives is registered when, with the consent of the Registrar, such surplus may be credited to the reserve fund of such new society.

Explanation :— For the purpose of this section “Registrar” shall not include officers whom powers of the Registrar have been conferred under sub-section (2) of section 4.

□ □